DHE/2/9/0019/2025-ACAD-DHE I/239671/2C

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक 2854 / 678/आउशि/अकादमी/2025, भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2025

प्रति,

1- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

2- **कुलसचिव,**
समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा से सम्बद्ध) मध्यप्रदेश.

3- **सचिव,**
मध्यप्रदेश, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

4- **प्राचार्य,**
समस्त शासकीय/अशासकीय स्वशासी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषय- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन, SWAYAM पोर्टल के पाठ्यक्रमों, विद्यार्थियों के APAAR-ID, NAD- डिजीलॉकर पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 520/2382675/2024/38-3, दिनांक 03/04/2025.
2-कार्यालय का पत्र क्रमांक 2455/678/आउशि/अकादमी/2025, दिनांक 04.04.2025.

-- 0 --

कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों के हितार्थ निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

1- SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन प्रदान कर अधिकाधिक संख्या में पंजीयन कराया जाए।

2- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में लोकल चैप्टर की स्थापना एवं नोडल अधिकारी (SPOC) नामित किए जाएं।

3- सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाना है अत: जिन विद्यार्थियों के ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR ID) अभी तक नहीं बनी है ऐसे समस्त विद्यार्थियों की APAAR ID बनाए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी (SPOC) नामित किए जाएं।

4- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा SWAYAM तथा APAAR ID हेतु नामित नोडल अधिकारी के नाम, संस्था का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, ई-मेल की जानकारी जिलेवार/संस्थावार इस कार्यालय को दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के पूर्व प्रेषित की जाए।

5- जिन शैक्षणिक संस्थाओं की APAAR ID से मैपिंग नहीं की गई है उनकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाए तथा मैपिंग संबंधी कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करा लिया जाए।

6- महाविद्यालयों में अभियान चला कर विद्यार्थियों के 'आधार' (AADHAAR) के नाम एवं अंकसूची के नाम का मिलान किया जाए एवं भिन्नता पाई जाने पर 'आधार' के नाम में संशोधन की कार्यवाही विद्यार्थियों से शीघ्र पूर्ण कराई जाए तथा उनके डाटा NAD (National Academic Depository) पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।

7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन मे पूर्व के (नॉन एनईपी) विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को अपलोड किए जाने हेतु वर्तमान में पोर्टल खुला हुआ है। अत: सम्बंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा स्तर पर उक्त कार्यों के समन्वय हेतु डॉ. दिवा मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा को नोडल अधिकारी (मो. 94250 06689) नामित किया गया है।

कृपया कृत कार्यवाही का प्रगति-प्रतिवेदन, प्रति सोमवार की अपरांह् में इस कार्यालय के ई मेल academy-he@mp.gov.in पर प्रेषित किया जाए।

Digitally signed by Nishant Warwade
Date: 22-04-2025 06:19:12

(निशांत वरवड़े)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2530/678/आउशि/अकादमी/2025, भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2025

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

2- स्टाफ, आफीसर, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3- प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/ निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./कु.स./2025/674 जबलपुर, दिनांक 01/5/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख, रा.दु.वि.वि., जबलपुर, उपरोक्तानुसार आपके विभाग से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।
2. प्रचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की ओर इस निर्देश के साथ कि शासन के उपरोक्त पत्र का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी वि.वि. की ई–मेल **rdvvdigilocker@gmail.com** पर यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जा सके। इसके साथ ही उपरोक्त **बिन्दु क्र.–06** के अनुसार छात्रों की APAAR ID संशोधित कराकर संशोधित APAAR ID को RDVV MPOnline पोर्टल के Update Your ABC ID पर भी अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अवरसंचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि,, जबलपुर।
7. कुलगुरू जी के सचिव, रा.दु.वि.वि,, जबलपुर।

आदेशानुसार

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर